HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Revision Petition No. 1079/2026
CNR: RJHC020558312026 | URN: CRLR / 1972U / 2026

Dr. Nawab Singh S/o Shri Ramsahay Beniwal, Resident Of Paras Hospital, Bayana Road, Nai Mandi, Hindaun City, District Karauli (Rajasthan).

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through P.p
2. Kailash Chand Meena S/o Shri Mishra Meena, Resident Of 77, Shivam Apartment, Mayur Vihar, Jagatpura, District Jaipur (Rajasthan)

----Respondents

For Petitioner(s) : श्री संजीव कुमार सोगरवाल
For Respondent(s) : श्री सुशील डागा
श्री आदित्य शर्मा
मि. अंजली शर्मा

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

22-07-2026

याची/परिवादी की ओर से यह निगरानी याचिका विद्वान विचारण न्यायालय सेशन न्यायाधीश, करौली, राजस्थान द्वारा अन्तरण प्रार्थना पत्र संख्या 36/2026 में पारित आदेश दिनांक 27.05.2026 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जिसके द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अयाची संख्या–2/अभियुक्त कैलाशचन्द का आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 448 बी.एन.एस.एस. स्वीकार करते हुए दाण्डिक निगरानी याचिका संख्या 33/2025 उनवानी कैलाशचन्द मीणा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य को अपर सेशन न्यायाधीश संख्या –1 हिण्डौन सिटी जिला करौली से स्वयं के न्यायालय के अन्तरित किया गया है।

बहस सुनी गई।

याची के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अयाची संख्या–2 द्वारा प्रस्तुत अन्तरण प्रार्थना पत्र में जो आधार प्रकरण को अन्तरित किए जाने के संबंध में वर्णित किए गए हैं वे सभी मनगढंत व बनावटी हैं । विचारण न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों पर विचार किए बिना आदेश पारित किया गया है । विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 27.05.2026 विधि अनुरूप नहीं है अतः निगरानी याचिका को स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 27.05.2026 अपास्त किया जावे ।

इसके विपरीत योग्य अधिवक्ता अयाची का निवेदन है कि योग्य विचारण न्यायालय द्वारा अन्तरण प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व आधारों पर पूर्ण विचार करते हुए आदेश पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई अनुचितता व त्रुटि नहीं है । विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 27.05.2026 विधि सम्मत है । अतः निगरानी याचिका निरस्त की जावे।

हमनें उभयपक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों–वितर्कों पर मनन किया व आक्षेपित आदेश तथा अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। विचारण न्यायालय द्वारा अन्तरण प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व आधारों पर समग्र रूप से विचार करते हुए विस्तृत आदेश दिनांक 27.05.2026 पारित किया है। इस न्यायालय की राय में विचारण न्यायालय के उक्त आदेश में किसी प्रकार की कोई अवैधता, अनुचितता एवं त्रुटि प्रकट नहीं होती है व उसमें हस्तक्षेप किए जाने का कोई आधार नहीं है।

परिणामतः याची की ओर से प्रस्तुत यह निगरानी याचिका स्वीकार योग्य नहीं होने से निरस्त की जाती है व विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 27.05.2026 की पुष्टि की जाती है ।

निगरानी याचिका के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, यदि कोई लंबित हैं तो वे भी निरस्त किए जाते हैं ।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

Rishikesh Soni/73